FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलेक्टर (S.D.O.) मुकाम बायतु

लिखमाराम बनाम पन्नाराम वगैरा

किस्म मुकदमा राजस्व आवेदन 111, 128 RLRA नं. 73/21 सन् 2021

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15/03/2021	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री [illegible] चौधरी ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111, 128 राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोर्डेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 30/4/21 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
30/04/2021	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस पूर्व में जरिये रजिस्टर्ड एडी भिजवाये गये जिनकी एडी पुन: प्राप्त नहीं हुई है। श्रीमान पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त होने से मिसल इन्तजार होकर आगामी दिनांक 04/08/2021 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
04/08/2021	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरीकैन उपस्थित। पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त है अत: पत्रावली इन्तजार होकर दिनांक 19/11/2021 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.14 13:03:03 IST
Reason: SelfAttested

क्रमांक / वाद / 2022 / 25
प्रार्थी
1. लिखमाराम पुत्र तेजाराम
जाति जाट, निवासी कस्...
पटवार मण्डल कस्...
तहसील ...

19/11/2021

प्रार्थी वकील उपस्थित । विप्रार्थीगण एडी इन : प्राप्त नहीं हुई है मौजूदा पीठासीन अधि. श्री प्रधानमन्त्री ... के सर्वांगीण ... 2021 ... में व्यस्त होने से मिसल ... लिखा ... आगामी दिनांक - 16/02/2022 को पेश हो ।

16/02/2022

प्रार्थी वकील उपस्थित । विप्रार्थीगण बावजूद सुचना अनुपस्थित । न्यायालय समय तीन बार आवाज लगाई गई, अन्तिम आवाज 5.45 Pm पर लगाई गई विप्रार्थीगण स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ लिहाजा विप्रार्थीगणों के विरुद्ध एक-तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है । प्रार्थी के अधि-वक्ता की एकपक्षिय बहस सुनी गई, प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया की प्रार्थी व विप्रार्थीगणों के खेत सेंध-सेंध आये हुए हैं । खेतो के मध्य जो पुरानी मांड व कणे आये हुए थे जो वर्तमान में आंधियो की वजह से बिखर गये है जिससे प्रार्थी को अपने खेत की सीमाओं का ज्ञान नहीं हो पा रहा है । जिससे खेत के सेंध को लेकर प्रार्थी व विप्रार्थीगणों के मध्य हमेशा तनाजा बना रहता है । प्रार्थी को अपने ~~खेत~~ खेत के सेंध का सही ज्ञान कराने हेतु नेखमबन्दी करवानी आवश्यक है । इसलिए प्रार्थी का नेखमबन्दी आवेदन स्वीकार किया जाकर नेखम-बन्दी आदेश किया जावे ।

अत: प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का नेखमबन्दी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गिड़ा को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या अपने अधिनस्त किसी भी भू-अभिलेख निरिक्षक से प्रार्थी के खातेदारी के खेतो की पक्की नेखमबन्दी मौके पर कमिश्नर ... करें । पालना रिपोर्ट प्राप्त होने ... जमाकराकर पत्रावली फैसल ... शामिल पत्रावली हो, ... से कम हो, दाखिल दफ्तर हो ।

सहायक कलक्टर
(SDO) बायतु

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.14 13:03:03 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक / वाद / 2022 / 25

दिनांकः– 16/02/2022

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
1. लिखमाराम पुत्र तेजाराम जाति जाट, निवासी कसुम्बला हरचन्द पटवार मण्डल कसुम्बला भाटियान तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर		1. पन्नाराम पुत्र तेजाराम वगैरा 24 जाति जाट, निवासी कसुम्बला हरचन्द पटवार मण्डल कसुम्बला भाटियान तहसील गिड़ा (बाड़मेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या – 73 / 2021

आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा – कसुम्बला हरचन्द, पटवार मण्डल – कसुम्बला भाटियान, तहसील – गिड़ा, जिला– बाड़मेर के खेत खसरा नं. 171 रकबा 7.5271 हैक्टयर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान / नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार गिड़ा को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमिशनर स्वंय या सहायक कमिशनर से प्रार्थीगण के खातेदारी खेंतो की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमिशनीर शुल्क 500/– जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी बायतु

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

दिनांकः– 16/02/2022

क्रमांक / वाद / 2022 / 26-30

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार गिड़ा
2. पटवारी हल्का कसुम्बला भाटियान को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री लिखमाराम पुत्र तेजाराम
4. विप्रार्थी श्री पन्नाराम पुत्र तेजाराम वगैरा 24
5. पुलिस थानाधिकारी गिड़ा।

उपखण्ड अधिकारी बायतु

(SDO) बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.14 13:03:03 IST
Reason: SelfAttested